

अनुसूची 21-प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति-आभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र सं० 2543/11 19
चूंकि श्री N.N. Ghosh Sanatan Teachers Training College ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के निबंधित सव्यवहारों और अबभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय, (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अबभारों के बारे में यही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2009 19 से ता० 19 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अबभारों का पता चला है :-

क्र० संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Jamunari P.S. Kanke P.S. No. 26 Dist. Ranchi Khata No. 30 Plot No. 165 Area - 99 dec.					Vide deed No. 4 Ranchi.		17583 2009

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक - पत्र की दशा में लाम की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभारों का पता नहीं चला है।
निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाणपत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :-

13/9/11

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(पदनाम) :-

(हस्ताक्षर) :-

कार्यालय :-

तारीख :-

13/9/11



निबंधन पदधिकारी का हस्ताक्षर ।

टिप्पणी :-

- (1) इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- (2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतिलिपियां देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहिप फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रखे दी जायगी।
- (क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।
- (ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ना ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Memo - 660 Ranchi 13/9/11 the NEC of N.N. Ghosh Saraton Teachers Training College, Secretary - Dr. Sudama Choudhary sent to the Central Bank of India, Garwah Road, Ranchi.